वी. रामास्वामी, सीजे और जी.आर. मजीठिया न्यायमूर्ति के समक्ष

वी.एस.आर.के. परमा हंसा, अपीलकर्ता।

बनाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य,-प्रतिवादी।

1985 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 830।

12 जनवरी 1989.

(लेटर्स पेटेंट, 1919- खंड. 10-याचिकाकर्ता एक नियमित क्लर्क है जिसे किसी अन्य संगठन द्वारा टाइपिस्ट के रूप में चुना गया है - राहत आदेश में प्रावधान है कि वह दो साल तक ग्रहणाधिकार जारी रखेगा - नया नियोक्ता चाहता है कि ग्रहणाधिकार पिछले नियोक्ता के साथ समाप्त हो जाए - पिछला नियोक्ता समाप्त नहीं कर रहा है याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित होने के कारण ग्रहणाधिकार - नए नियोक्ता द्वारा याचिकाकर्ता की समाप्ति - ऐसे आदेश की वैधता।

यह माना गया कि उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले अपीलकर्ता को अपना ग्रहणाधिकार समाप्त करने के लिए मजबूर करने की प्रतिवादी संख्या 1 की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। प्रतिवादी नंबर 1 केवल इस आधार पर अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता है कि वह अपने ग्रहणाधिकार को समाप्त करने में विफल रहा है, जिसे उसके पिछले नियोक्ता ने विशेष रूप से तब बरकरार रखा था जब उन्होंने इसकी अनुमति दी थी। अपीलकर्ता सेवा में शामिल हों। तत्काल मामले के तथ्यों पर हम पाते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता के साथ गलत व्यवहार किया है। (पैरा 8).

माना गया कि यह केवल धारणा है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने अपीलकर्ता के ग्रहणाधिकार को इस आधार पर समाप्त नहीं किया कि उसके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी या चल रही थी। (पैरा 6).

लेटर्स पेटेंट अपील, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत, निर्णय के खिलाफ, दिनांक 15 मार्च, 1985, माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एम. टंडन द्वारा सी.डब्ल्यू.पी.1984 की संख्या 312. को खारिज करते हुए पारित किया गया।

अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एल. गुप्ता, तथा अधिवक्ता जसवन्त सिंह

एच. एस. बराड़, वरिष्ठ स्थायी वकील, केंद्र सरकार के लिए, यू.ओ.आई. के लिए।

## निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उन्होंने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उसे राहत देने के लिए पारित आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता क्योंकि 2 जनवरी 1984 (दोपहर) से उन्हें निगम की सेवाओं से मुक्त किया जाता है

(2) तथ्य प्रथमः-

अपीलकर्ता 21 अगस्त, 1970 को ऑल इंडिया रेडियो, हैदराबाद में क्लर्क ग्रेड II के रूप में शामिल हुए और 21 अप्रैल, 1975 को उनकी पुष्टि की गई। उन्हें 27 मार्च 1981 को हैदराबाद अपग्रेड दूर दर्शन केंद्र, हैदराबाद में तदर्थ पर क्लर्क ग्रेड I के रूप में पदोन्नत किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो और अपग्रेड दूर दर्शन केंद्र, हैदराबाद एक ही विभाग की दो इकाइयाँ हैं जो एक ही प्राधिकरण के समग्र नियंत्रण में हैं। अपीलकर्ता की क्लर्क ग्रेड I के रूप में नियुक्ति 2 सितंबर, 1982 को नियमित कर दी गई थी। प्रतिवादी नंबर 1 ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षित टाइपिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन दिया था। अपीलकर्ता ने शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण इस पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उन्हें 1 अक्टूबर, 1982 को अपग्रेड दूर दर्शन केंद्र

हैदराबाद द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया था और कार्यमुक्ति आदेश में यह प्रावधान किया गया था कि चूंकि अपीलकर्ता विजयवाड़ा में ऑल इंडिया रेडियो में क्लर्क ग्रेड II का वास्तविक पद रखता है, इसलिए वह इस पद पर अपना ग्रहणाधिकार 30 सितंबर, 1984 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि तक बनाए रखेगा। । अपीलकर्ता एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर टाइपिस्ट-क्लर्क के रूप में 5 अक्टूबर, 1982 को चंडीगढ़ में प्रतिवादी नंबर 1 में शामिल हुआ। 1 दिसंबर, 1983 को प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उसने अपने पिछले नियोक्ता अर्थात निदेशक अपग्रेड दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद के साथ अपना ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं कराया है। ऑल इंडिया रेडियो, विजयवाड़ा को चेतावनी जारी की गई कि यदि उन्होंने 15 दिसंबर, 1983 तक अपने पिछले नियोक्ता के साथ अपना ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं कराया, तो उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपीलकर्ता ने अपने ग्रहणाधिकार को समाप्त करने के लिए निदेशक, अपग्रेड दूर दर्शन केंद्र, हैदराबाद से अनुरोध किया और प्रतिवादी नंबर 1 को भी सूचित किया कि उसने अपने पिछले नियोक्ता से अपने ग्रहणाधिकार को तुरंत समाप्त करने का अनुरोध किया था। 16 दिसंबर, 1983 को प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता को फिर से लिखा कि उसने अब तक अपने पिछले नियोक्ता के साथ अपना ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं कराया है और उसे अंतिम चेतावनी दी गई थी कि यदि उसने अपना ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं कराया और इसका सबूत दिया। 31 दिसंबर 1983 तक, उनके लिए अपीलकर्ता को सेवा में जारी रखना संभव नहीं होगा। अपीलकर्ता ग्रहणाधिकार रद्द कराने में सफल नहीं हुआ। परिणामस्वरूप 2 जनवरी 1984 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"चूंकि आपके लिए अपने पिछले नियोक्ता से अपना ग्रहणाधिकार समाप्त करवाना संभव नहीं है, इसलिए आपको 2 जनवरी, 1984 (दोपहर) से निगम की सेवा से मुक्त किया जाता है।"

इसी आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(3) प्रतिवादी नंबर 1 ने इस आधार पर आदेश को उचित ठहराया कि उसके पास जानकारी थी कि अपीलकर्ता का पिछला नियोक्ता ग्रहणाधिकार को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सरकारी निधि के दुरुपयोग के आरोप में उसके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी। यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता की नियुक्ति विशेष रूप से इस शर्त पर थी कि वह अपने मूल विभाग से कार्यमुक्ति पत्र प्राप्त करेगा और पिछली सेवा से इस्तीफा दे देगा।

4) विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि अपीलकर्ता के ग्रहणाधिकार को समाप्त करने के लिए निदेशक, अपग्रेड दूर दर्शन केंद्र, हैदराबाद को नोटिस जारी करना मुश्किल है क्योंकि यह इसके लिए खुला है। सक्षम प्राधिकारी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए। इस समय विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा यह निमित्त जो इस प्रकार हैं:-

> "याचिकाकर्ता के वकील ने महानिदेशक के 25 अप्रैल, 1984 के आदेश पर बहुत जोर दिया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में नामित चार व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सामान्य कार्यवाही में लिया गया। तर्क आगे बढ़ता है कि पृष्ठ 16 से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं करने का निर्णय लिया है। विवाद निराधार है. आदेश पी. 16 से याचिकाकर्ता के लिए ऐसा कोई अनुकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में नियुक्ति के कारण अब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, यह अभी भी सक्षम के लिए खुला है। उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के ग्रहणाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ आदेश जारी करना मुश्किल है।

(5) याचिकाकर्ता ने हैदराबाद में ऑल इंडिया रेडियो में अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा है, जो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण इसे समाप्त करने पर सहमत नहीं हुआ है। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अधिकारियों द्वारा उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए संचार पी.12 पर उचित रूप से हमला नहीं कर सकता है।"

(6) विद्वान एकल न्यायाधीश का संपूर्ण दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है। यह केवल एक धारणा है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने अपीलकर्ता के ग्रहणाधिकार को इस आधार पर समाप्त नहीं किया कि उसके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी या चल रही थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 जनवरी 1984 को अपीलकर्ता को सेवा से मुक्त कर दिया। चार साल से अधिक समय बीत चुका है। प्रतिवादी नंबर 3 ने इस न्यायालय के ध्यान में ऐसी कोई सामग्री नहीं लाई जो यह दर्शाती हो कि अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के कारण ग्रहणाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। अन्यथा भी, हम पाते हैं कि प्रतिवादी जे^ओ 1 ने 2 जनवरी 1984 (ए.एन.) से याचिकाकर्ता को सेवा से मुक्त करना पूरी तरह से अनुचित था। अपीलकर्ता को 1 अक्टूबर 1982 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा राहत दी गई थी और संबंधित आदेश निम्नानुसार था: -

> "27 सितंबर, 1982 के उनके आवेदन के संदर्भ में, श्री वी.एस.आर.के. परमा हंसा, क्लर्क ग्रेड- I को सूचित किया जाता है कि उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त करने का30 सितंबर, 1982 (दोपहर) से उनका अनुरोध प्रभावी है
>
> इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में उनकी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और तदनुसार उन्हें 30 सितंबर, 1982 की दोपहर को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है।

(7) चूंकि, श्री वी.एस.आर.के. परमहंस, क्लर्क ग्रेड- I, विजयवाड़ा में ऑल इंडिया रेडियो में क्लर्क ग्रेड- II के वास्तविक पद पर हैं, वे 30 सितंबर, 1984 तारीख को समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखेंगे।

(8) इस आदेश में यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि 30 सितंबर 1984 को समाप्त होने वाली दो साल की अवधि के लिए क्लर्क ग्रेड- II के मूल पद के खिलाफ ग्रहणाधिकार बरकरार रखा गया है। प्रतिवादी द्वारा उन्हें क्लर्क ग्रेड- I के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा उनके कर्तव्यों से मुक्त 1 अक्टूबर 1982 से कर दिया गया था। इस आदेश के बल पर अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा में शामिल हो गया, प्रतिवादी संख्या 3 ने विशेष रूप से 30 सितंबर 1984 तक अपना ग्रहणाधिकार बरकरार रखा है और वह इसे समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। उससे पहले का ग्रहणाधिकार. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ता को 2 जनवरी 1984 को केवल

इस आधार पर सेवा से मुक्त करना पूरी तरह से अनुचित था कि वह अपने पिछले नियोक्ता के साथ अपना ग्रहणाधिकार समाप्त कराने में विफल रहा था। अपीलकर्ता ने वह सब किया जो उसके अधिकार में था और उसने बार-बार अपने पिछले नियोक्ता से उसका ग्रहणाधिकार समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया! अपीलकर्ता को अपना ग्रहणाधिकार समाप्त न कराने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दंडित नहीं किया जा सका। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा उसे सेवा से मुक्त करने का आक्षेपित आदेश पूर्णतः अवैध एवं अन्यायपूर्ण है। हमने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर पूरे लिखित बयान का अध्ययन किया है। क़ानून के किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 अपीलकर्ता की सेवाओं को केवल इस आधार पर समाप्त करने में सक्षम था कि वह प्राप्त करने में विफल रहा था। उसका ग्रहणाधिकार उसके पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ समाप्त हो गया। 30 सितंबर, 1982 को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा सेवा से मुक्त किए जाने के बाद अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 की सेवा में शामिल हो गया। राहत आदेश में यह प्रावधान किया गया था कि उसका ग्रहणाधिकार 30 सितंबर, 1984 तक बरकरार रखा गया था। यह आदेश होना चाहिए था जब अपीलकर्ता उसके साथ सेवा में शामिल हुआ तो प्रतिवादी संख्या 1 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने उसे इस तथ्य से पूरी तरह अवगत होने के कारण सेवा में शामिल होने की अनुमति दी कि प्रतिवादी नंबर 3 ने 30 सितंबर, 1984 तक ग्रहणाधिकार बरकरार रखा था। प्रतिवादी नंबर 1 की कार्रवाई ने अपीलकर्ता को अपना ग्रहणाधिकार समाप्त होने से पहले समाप्त करने के लिए मजबूर किया। उपरोक्त अवधि पूर्णतः अनुचित है। प्रतिवादी नंबर 1 केवल इस आधार पर अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता है कि वह अपने ग्रहणाधिकार को समाप्त करने में विफल रहा है, जिसे उसके द्वारा बरकरार रखा गया था।

पिछले नियोक्ता ने विशेष रूप से तब जब उसने अपीलकर्ता को सेवा में शामिल होने की अनुमति दी थी। मौजूदा मामले के तथ्यों पर हम पाते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता के साथ गलत व्यवहार किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त किया जाता है।

(9) इसके फलस्वरूप हम अपील की अनुमति देते हैं और 2 जनवरी 1984 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित 2 जनवरी 1984 के आदेश को रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता को 2 जनवरी 1984 से निगम की सेवाओं से राहत दी गई है। प्रतिवादी नंबर 1 को अपीलकर्ता को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। सभी बकाया वेतन और परिणामी लाभों के साथ इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीना। कोई लागत नहीं.

एस.सी.के.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*